



सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 04 शावण, 1946 (श०)
26 जुलाई, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	स्वास्थ्य विभाग	04
(2)	ऊर्जा विभाग	01
	कुल योग	<u>05</u>

दोषी पर कार्रवाई करना

13. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)---स्थानीय हिन्दौ ईनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 मई, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक “हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र पर मात्र 9 प्रतिशत की दवा की है उपलब्धता” के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 1657 हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र पर मरीजों को निःशुल्क देने वाली दवाओं की सूची में कुल 151 नाम है, लेकिन इन केन्द्रों पर मात्र 12 से 13 प्रकार की ही दवाईयाँ उपलब्ध रहती हैं, जिसके कारण मरीजों को दवाईयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्रों पर सभी प्रकार की दवाईयाँ उपलब्ध कराने तथा दवा की अनुपलब्धता के लिये दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

14. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)---स्थानीय हिन्दौ ईनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 जून, 2024 के प्रकाशित शीर्षक “20 पारा मेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर के 700 पद रिक्त” को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सात नियन्त्रण योजना दो के तहत वर्ष 2020 में सहरसा, पूर्णियाँ, छपरा, वैशाली, मुंगेर, बबसर, भोजपुर, कटिहार सहित 20 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोले गये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि करीब तीन सत्र 2021-23, 2022-24, 2023-25 में करीब 9000 छात्रों का नामांकन हो चुका है, लेकिन आजतक उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिये ट्रूटूर/लेक्चरर की बहाली नहीं की गई है, जिससे छात्रों का सम्मति कोर्स पूरा नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पारा मेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर की बहाली कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय स्थापित करना

15. श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)---क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विभाग द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जिसका लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के स्थापना एवं उससे संबंधित शिकायतों के निवारण का कार्य विभाग द्वारा निजी एजेंसी को दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य करने वाली निजी एजेंसी द्वारा न तो राज्य स्तर पर और न ही जिला या प्रखंड स्तर पर कोई कार्यालय खोला गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण होने में काफी विलम्ब होता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो निजी एजेंसी द्वारा प्रखंड से लेकर जिला एवं राज्य मुख्यालय में कोई कार्यालय नहीं स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

आयुष्मान कार्ड बनाये जाना

16. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--व्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के 8.71 करोड़ लाखों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2.91 करोड़ लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बन सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष बचे 5.80 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सकों की प्रोन्नति

17. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--व्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 19300, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 द्वारा रज्य में रिक्त पढ़े पदों पर प्रोन्नति दिये जाने की विशेष प्रक्रिया तथा समय-सीमा दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित की गई थी जिसे पुनः ज्ञापांक 636, दिनांक 10 जनवरी, 2024 द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2024 तक विस्तारित किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग में उक्त योगों आदेशों की अवहेलना करते हुये मात्र निदेशक, अपर निदेशक एवं निदेशक प्रमुख के पदों पर प्रोन्नति देकर बिहार स्वास्थ्य सेवा के शेष चिकित्सकों की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार स्वास्थ्य सेवा के सभी पात्र चिकित्सकों को नियमित प्रोन्नति एवं उपर्युक्त निर्धारित विशेष प्रोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 26 जुलाई, 2024 (ई) ।

खुशाति सिंह,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024